29

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1883-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 8-8-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 49/2004-05 निगरानी

1- श्रीमती अवधकुमारी पुत्री तेजबलीराम ब्राहमण
पत्नि रामानुज पांडे निवासी भुड़कुड़
2- असबंतप्रसाद 3- ईश्वर प्रसाद 4- सूर्यप्रसाद
पुत्रगण यज्ञनारायण बैश्य
5- प्रेमकुमारी पुत्री यज्ञनारायण
6- श्रीमती धनकुँवर पत्नि यज्ञनारायण
7- लालाराम पुत्र ईश्वरप्रसाद
8- राजकुमार 9- अशोककुमार नावालिक
पुत्रगण रामायण प्रसाद चौबे सरपरस्त चाचा
ईश्वरीप्रसाद वैश्य निवासी उखरावल
तहसील सिंगरोली जिला सीधी

——आवेदकगण

विरूद्ध

1- प्रेमलाल पुत्र जमाहिर गोड 2- जीतन सिंह पुत्र रंजीतसिंह
3- बालकेश्वर 4- मोहनसिंह 5- पुरूषोत्तम सिंह
6- जसलाल 7- बबुआ सभी पुत्रगण मान सिंह
8- रंजीत सिंह 9- मान सिंह पुत्रगण जवाहर सिंह
सभी ग्राम अखरावल तहसील सिंगरोली जिला सीधी

——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 03-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 49/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार माड़ा ने प्रकरण कमांक

54 अ-74/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 25-6-1992 से भूमि सर्वे कमांक 955/3 रकबा 0.02 एंव 956 रकबा 1.82 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) शासकीय अभिलेख में म0प्र0शासन के नाम से दर्ज रहने के बजाय महिला अवधकुमारी पुत्री तेजबलीराम ब्राहमण के नाम इन्द्राज दुरूस्त करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर बेढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर बैढ़न ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 167/2003-04 निगरानी में. पारित आदेश दिनांक 4-3-2005 से निगरानी स्वीकार की एंव नायव तहसीलदार द्वारा प्र.क.54 अ-74/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 25-6-1992 को निरस्त करते हुये भूमि पुनः म0प्र0शासन के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 49/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक कमांक 1 अवधकुमार के स्वत्व एंव स्वामित्व की थी जो पूर्व से ही शासकीय अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी किन्तु उसका नाम गलती से खसरे के कालम नंबर 3 में अंकित होने से छूट गया था जिसे नायव तहसीलदार माड़ा ने प्रकरण कमांक 54 अ-74/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 25-6-1992 से दुरूस्त किया है। खसरा दुरूस्ती के अधिकार नायव तहसीलदार को है । नायव तहसीलदार के आदेश के वाद काफी विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार करने में अपर कलेक्टर बेढ़न ने त्रृटि की थी. किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने इस पर ध्यान न देने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार माड़ा के आदेश दिनांक 25-6-1992 को यथावत् रखा जावे।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि की फ़र्जी ख़सरा प्रविष्टि पूर्व के ख़सरों में कर दी गई थी एंव सुनवाई के समय जब अपर कलेक्टर ने रिकार्ड मांगा, आवेदक क्र-1 रिकार्ड प्रस्तुत करके अपना दावा प्रमाणित नहीं कर सकी। उन्होंने यह भी बताया कि नायब तहसीलदार माड़ा के आदेश दिनांक 25-6-1992 से भूमि में अपना गलत नाम दर्ज कराकर महिला अवधकुमारी ने भूमि विक्रय कर दी, जबकि भूमि मध्य प्रदेश शासन की थी एंव अनावेदक उस पर पूर्व से ही काविज चले आ रहे थे जिन्हें नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25-6-92 पारित करते समय नहीं सुना है। उन्होनें अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेशों को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर बैढ़न ने प्रकरण क्रमांक 167/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-3-2005 में अंकित किया है जब वादग्रस्त भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-6-92 की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई, तब प्रकरण उपलब्ध न होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं हो पाई, इसका आशय यह है कि नायब तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 54 अ-74/1991-92 अस्तित्व में नही है एंव इतालवी की प्रविष्टि भी संदेहजनक है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-6-92 से आवेदक क्रमांक-1 महिला अवधकुमारी द्वारा अपना नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज कराने के वाद वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दिया गया एंव हलका पटवारी से जब अपर कलेक्टर बेढ़न ने मौके की जांच रिपोर्ट मांगी, मौके पर अनावेदक क्रमांक 1 से 9 का कब्जा होना पाया गया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-6-92 से शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर महिला अवधकुमारी के नाम की इतालवी गलत किया जाना पाने के कारण अपर कलेक्टर बैढ़न ने आदेश दिनांक 4-3-2005 पारित करके नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-6-92 को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 49/2004-05 निगरानी में आदेश दिनांक 8-8-06 पारित करते समय अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं

माना है। कलेक्टर बैढ़न के आदेश दिनांक 4-3-2005 में एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 8-8-06 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 49/2004-05 निगरानी में आदेश दिनांक 8-8-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर